झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

एकादश (शीतकालीन) सत्र

वर्ग-05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक 24 अग्रहायण 1939 (श0) / 15 दिसम्बर, 2017 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गयी सं0स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभाग को भेजी गई तिथि
1	2.	3.	4.	5.	6.
103	स0-06	श्री चम्पाई सोरेन	मुआवजा देना।	राजस्व,निबंधन	08/12/17
[illegible]	ग0-07	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	पदस्थापन करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	07/12/17
105	स0-18	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	पद सृजित करना	स्वा0चिकित्सा	07/12/17
106	स0-04	श्री जगरनाथ महतो	पढ़ाई कराना।	स्वा0चिकित्सा	04/12/17
107	ग0-02	श्री अशोक कुमार	अग्निशामालय स्थापित करना।	गृह, कारा	04/12/17
108	स0-12	श्री कुणाल षड़ंगी	स्वास्थ्य सुविधा देना।	स्वा0चिकित्सा	05/12/17
109	स0-04	श्री ताला मराण्डी	कार्रवाई करना।	राजस्व,निबंधन	05/12/17
[illegible]	स0-11	श्री योगेन्द्र प्रसाद	स्थायी करना।	स्वा0चिकित्सा	05/12/17

कृ0पृ0उ0-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गयी सां0स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभाग को भेजी गई तिथि
1	2.	3.	4.	5.	6.
111	ग0-04	श्रीमती विमला प्रधान	पदस्थापित करना।	गृह, कारा	05/12/17
112	रा0-07	श्री साधुचरण महतो	सुरक्षित रखना।	राजस्व,निबंधन	08/12/17
113	स0-16	श्री फूलचन्द मंडल	लंबित कार्य पूरा करना।	स्वा0चिकित्सा	05/12/17
114	ग0-12	श्री नागेन्द्र महतो	दोषियों पर कार्रवाई	गृह, कारा	08/12/17
115	श्रनि0-03	श्रीमती जोबा मांझी	प्रशिक्षण प्रारंभ करना	श्रम नियोजन	08/12/17
116	ग0-10	श्री जानकी प्र0 यादव	कानूनी कार्रवाई करना।	गृह, कारा	07/12/17
117	स0-07	डॉ0 इरफान अंसारी	स्थानान्तरित करना	स्वा0चिकित्सा	04/12/17
118	स0-05	श्री अनन्त कु0 ओझा	चिकित्सा व्यवस्था करना।	स्वा0चिकित्सा	04/12/17
119	श्रनि0-02	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	पठन-पाठन कराना।	श्रम नियोजन	05/12/17
120	स0-06	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	ब्लड बैंक चालू करना,	स्वा0चिकित्सा	04/12/17
121	रा0-01	श्री राम कुमार पाहन	पट्टा उपलब्ध कराना।	राजस्व,निबंधन	04/12/17
122	स0-01	श्री आलमगीर आलम	चिकित्सा उपलब्ध कराना।	स्वा0चिकित्सा	04/12/17
123	स0-15	श्री आलोक कुमार चौरसिया	स्थानान्तरित करना।	स्वा0चिकित्सा	05/12/17
124	स0-22	श्री शशिभूषण सामाड़	संसाधन उपलब्ध कराना।	स्वा0चिकित्सा	08/12/17
125	ग0-06	श्री अरूप चटर्जी	जाँच कराना।	गृह, कारा	05/12/17
126	रा-03	श्रीमती विमला प्रधान	जमीन आवंटित करना।	राजस्व,निबंधन	04/12/17
127	स0-20	श्री बादल	कार्रवाई करना।	स्वा0चिकित्सा	08/12/17

कृ0पृ0उ0-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गयी सां0स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागं को भेजी गई तिथि
1	2.	3.	4.	5.	6.
		"क"			
128	ग्राम-02	श्री भानु प्रताप शाही	सिविल कोर्ट की स्थापना।	कार्मिक	30/11/17
129	स0-13	श्री राजकुमार यादव	स्वास्थ्य केन्द्र चालू करना।	स्वा0 चिकित्सा	05/12/17
130	ग0-11	श्री प्रकाश राम	नौकरी देना।	गृह, कारा	08/12/17
		"ख"			
131	ग0-03	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	पथ बनाना।	गृह, कारा	05/12/17
132	स0-14	श्री नलिन सोरेन	नियुक्त करना।	स्वा0चिकित्सा	05/12/17
		"ब"			
133	ग0-05	श्री योगेश्वर महतो	जॉच बन्द करना।	गृह, कारा	05/12/17
134	रा0-02	श्री बिरंची नारायण	दाखिल-खारिज करना।	राजस्व,निबंधन	04/12/17
135	स0-09	श्री बिरंची नारायण	मैनपावर उपलब्ध कराना।	स्वा0 चिकित्सा	04/12/17
136	ग0-13	श्री अमित कुमार	मुआवजा देना	गृह, कारा	08/12/17
137	का0-01	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	संरक्षण देना।	कार्मिक	05/12/17
138	श्रमि0-01	श्री केदार हाजरा	महाविद्यालय खोलना।	श्रम नियोजन	04/12/17
139	का0-05	श्री प्रकाश राम	नौकरी देना।	कार्मिक	08/12/17
140	ग0-08	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टॉन	सम्मिलित करना।	गृह, कारा	07/12/17
141	स0-10	प्रो0 जय प्रकाश वर्मा	चिकित्सा करना।	स्वा0चिकित्सा	05/12/17
142	स0-08	श्री केदार हाजरा	चिकित्सक का पदस्थापन	स्वा0 चिकित्सा	04/12/17
143	ग0-01	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	वाहन की व्यवस्था करना।	गृह, कारा	04/12/16
144	का0-04	श्री योगेश्वर महतो	प्रखण्ड का निर्माण	कार्मिक	07/12/17
145	ग0-09	श्री दशरथ गागराई	पुर्नवास करना।	गृह, कारा	07/12/17

कृ0पृ0उ0-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गयी सां0स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभाग को भेजी गई तिथि
1	2.	3.	4.	5.	6.
146	स0-19	श्री दशरथ गागराई	कारवाई करना।	स्वा0चिकित्सा	07/12/17
147	स0-05	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	अतिक्रमण सुधार करना।	राजस्व,निबंधन	05/12/17
148	स0-17	श्रीमती गीता कोड़ा	स्वास्थ्य सुविधा देना।	स्वा0चिकित्सा	05/12/17
149	का0-02	श्री फूलचन्द मंडल	प्रखण्ड का सृजन करना।	कार्मिक	05/12/17
150	श्रनि0-04	श्रीमती जोबा मांझी	प्रशिक्षण प्रारंभ करना।	श्रम नियोजन	08/12/17
151	स0-03	श्री अनन्त कुमार ओझा	भवन निर्माण कराना	स्वा0चिकित्सा	04/12/17
152	स0-21	श्री चम्पाई सोरेन	संचालित करना।	स्वा0 चिकित्सा	08/12/17
153	स0-02	श्री रामकुमार पाहन	स्वास्थ्य सेवा शुरू करना।	स्वा0 चिकित्सा	04/12/17
154	का0-03	श्री अमित कुमार मंडल	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना।	कार्मिक	05/12/17

नोट "क"- ग्राम- 02-ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक- 5989, दिनांक- 04/12/17 के द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में स्थानान्तरित।
"ख"- ग-03- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन के ज्ञापांक-1254 दिनांक-8/12/17 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित।
"ग"- ग-05- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक- 6983, दिनांक- 06/12/17 के द्वारा मंत्रिमण्डल सचिवालय (समन्वय) एवं निगरानी विभाग में स्थानान्तरित।

रांची
दिनांक- 15 दिसम्बर, 2017(ई0)।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न- 07/2015.....2839...../वि0स0, राँची, दिनांक- 11/12/17

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

11/12/17
(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0-

ज्ञाप सं0- प्रश्न- 07/2015 2839 /वि0स0, राँची, दिनांक- 11/12/17

प्रति :- मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

11/12/17

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न- 07/2015 2839 /वि0स0, राँची, दिनांक- 11/12/17

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा के सूचनार्थ प्रेषित।

11/12/17

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

11.12.17

निरंजन

श्री चम्पाई सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या रा0 06 का उत्तर

प्रश्न		उत्तर
श्री चम्पाई सोरेन, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत मौजा–आदित्यपुर, थाना नं0–129, खाता संख्या–17, प्लॉट संख्या–127, रकवा–0.46 एकड़ जमीन आदिवासी रैयत रासो मुण्डा के रैयती भूमि अधिग्रहण वाद संख्या–02/82–83 द्वारा अर्जित कर Indian oil Corporation (Servo Nagar Adityapur) को 90 वर्षों के लिए बंदोबस्ती दी गई है ;		विषयगत मामला वर्ष 1982–83 का है। प्रश्न में भूमि अधिग्रहण वाद का जिक्र होने के साथ–साथ बंदोबस्ती का भी जिक्र किया गया है जबकि भूमि अधिग्रहण एवं बंदोबस्ती दोनों अलग–अलग विषय है। संबंधित जिलों के भू–अर्जन/राजस्व कार्यालय में काफी खोजबीन के पश्चात संबंधित कागजात/अभिलेख नहीं मिल पा रहा है। खोजबीन गहनता पूर्वक जारी है। संबंधित कागजात उपलब्ध होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
2. क्या यह बात सही है कि रैयत रासो मुण्डा एवं परिवार के अन्य सदस्य को आज तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है;		कंडिका – 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण हेतु रैयत स्व0 रासो मुण्डा के परिवार के सदस्य को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		कंडिका – 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–08ए./भू.अ.नि.वि.स. (तारां.)–222/2017 · 900/A- रा., दिनांक– 14-12-17

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके गै.स.सं.–2805/वि.स., दिनांक–08.12.17 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ /प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ उप सचिव, पथ निर्माण विभाग/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.12.17

सरकार के उप सचिव

Vidhan sabha (lalit)

(104)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग एवं रामगढ़ जिला में सब इन्सपेक्टर एवं आरक्षी पर्याप्त संख्या में नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। हजारीबाग एवं रामगढ़ जिले में आरक्षियों की संख्या प्रर्याप्त है, परन्तु राज्य के अन्य जिलों के समान हजारीबाग एवं रामगढ़ में पुलिस अवर निरीक्षक की कमी है।
2	क्या यह बात सही है कि दोनों जिला उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के साथ–साथ जिले में सबसे अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठान है, जिससे विधि व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नही हो पाती है ;	यह सही है कि हजारीबाग एव रामगढ़ जिला के कतिपय क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित है तथा इन दोनों जिलों में औद्योगिक प्रतिष्ठान भी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं विधि व्यवस्था को देखते हुए उक्त जिलों में सब इन्सपेक्टर एवं आरक्षी पर्याप्त संख्या में पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में पुलिस अवर निरीक्षक कोटि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती एव विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इन रिक्त पदों पर पुलिस अवर निरीक्षक, की नियुक्ति के पश्चात् स्वीकृत पदो के अनुरूप राज्य के अन्य जिलों के साथ–साथ इन दोनों जिलों में भी पुलिस अवर निरीक्षकों के पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–12/2017 7086/ राँची, दिनांक– 13/12/17 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2775, दिनांक–07.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– स 18 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत टाटीझरिया प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ;	स्वीकारात्मक। हजारीबाग जिलान्तर्गत टाटीझरिया प्रखण्ड की आबादी कुल 48550 मात्र है। आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुरूप सामान्य क्षेत्रों के लिए 120000 (एक लाख बीस हजार) की आबादी आवश्यक है। टाटीझरिया प्रखण्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की पात्रता नहीं रखता है।
2 क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन लगभग 4 साल पहले बनाया गया है, जिसमें आज तक चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी का पद सृजित नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक। विभाग के द्वारा पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रिया में है । स्वास्थ्य उप केन्द्र, टाटीझरिया में पदस्थापित कर्मियों को प्रतिनियुक्त कर कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाटीझरिया में लिया जा रहा है उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डा0 रविशंकर, चिकित्सा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है साथ हीं श्रीमति जुबेदा खातुन, ए0एन0एम0, श्रीमती मीना कुमारी ए0एन0एम0(अनुबंध) तथा श्री शिवशंकर पाण्डेय, परिवार कल्याण कार्यकर्ता के द्वारा चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है। नवनिर्मित भवनों के लिए पद स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रिया में है शीघ्र ही चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का पद सृजित करते हुए चिकित्सक एवं पारामेडिकल कर्मियों का पदस्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार टाटीझरिया प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी का पद सृजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 84/17– 1755 स्वा0, राँची, दिनांकः 14.12.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2772/वि0स0, दिनांक– 07.12.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

सरकार के उप सचिव ।

(106)

श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 15.12.17 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–स–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स०, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा० चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है, कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड में अधिकांश पंचायत उग्रवाद प्रभावित, सुदुर ग्रामीण एवं पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ के शिक्षित युवतियां नर्स ट्रेनिंग सेन्टर नहीं होने के कारण या तो बेरोजगार है, या उग्रवादी गतिविधि में सम्मिलित हो जाती है या पलायन कर जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 वर्णित नावाडीह प्रखण्ड में नर्स ट्रेनिंग सेन्टर खुलने से शिक्षित बेरोजगार युवतियों को प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त होगा और पलायन रूकेगा साथ ही साथ मूलधारा में लौटाने का अवसर प्राप्त होगा ;	बोकारो जिलान्तर्गत बोकारो में ए०एन०एम० ट्रेनिंग सेन्टर भवन सदर अस्पताल परिसर पर बना हुआ है एवं संचालन हेतु प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है तथा ए०एन०एम० ट्रेनिंग सेन्टर फुसरो में निर्माणाधीन है। उक्त ट्रेनिंग सेन्टर के संचालन प्रारंभ होने के पश्चात् बेरमो अनुमण्डल के शिक्षित महिलाओं को ए०एन०एम० प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देवी महतो स्मारक इण्टर महाविद्यालय, नावाडीह में नर्स ट्रेनिंग कोर्स ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० की पढ़ाई कराने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–10/ क्यू (वि०स०)–01–11/2017 – 370(10) स्वा०/राँची/दिनांक:– 12/12/17
प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं० 2679 दिनांक 04.12.17 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

12.12.17
सरकार के उप सचिव।

(107)

श्री अशोक कुमार, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत अनुमंडल मुख्यालय महागामा में सरकार द्वारा अग्निशामालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गई है, परन्तु आज तक वहां स्थापित नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि महागामा अनुमंडल क्षेत्रों में अगलगी की घटना होने पर जिला मुख्यालय से अग्निशमन दस्ता को भेजा जाता है, परन्तु दूरी काफी अधिक होने के कारण सबकुल जलकर राख हो जाने के बाद काफी विलम्ब से फायर इंजन घटनास्थल पर पहुंचती है .	आंशिक स्वीकारात्मक। अग्निकाण्ड की सूचना प्राप्त होने पर यथासंभव अग्निशमन दस्ता घटनास्थल पर पहुँचने का प्रयास करती है, दूरी के अनुसार फायर इंजिन को घटनास्थल पर पहुँचने में समय लगता है। अग्निशामालय गोड्डा से प्राप्त अग्नि प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2016 में कुल–06 एवं 2017 में कुल–01 अग्निकांड प्रतिवेदित हुए हैं। इन अग्निकांडों में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना प्राप्त नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा जिलान्तर्गत अनुमंडल मुख्यालय महागामा में स्थाई रूप से अग्निशामालय स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा सहित राज्य के 10 अनुमण्डलों में अग्निशामालय खोलने का प्रस्ताव पर योजना–सह–वित्त विभाग (प्रशासी पदवर्ग समिति) की सहमति प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति के बाद महागामा सहित 10 अनुमण्डल में अग्निशामालय खोलने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08 / वि०स०–08 / 06 / 2017 7190 / राँची, दिनांक– 13/12/17 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2677, दिनांक–04.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

डॉ0 कुणाल षाड़ंगी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–12 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र में जितने भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण किया गया है, उन सभी पर डॉक्टरों की पदस्थापना एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण बन्द पड़ा हुआ है ;	अस्वीकारात्मक। स्वास्थ्य उप केन्द्र में चिकित्सक का पद सृजित नहीं होने के कारण स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि नियमित रूप से डॉक्टर नहीं रहने के कारण वहाँ की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक। स्थानीय व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य उप केन्द्रों में चिकित्सा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं ए0 एन0 एम0 का पदस्थापन कर क्षेत्र के आमजन को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में डॉक्टरों की पदस्थापना एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराकर वहाँ की गरीब जनता को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/विधान सभा–03–36/2017 1277(3) राँची, दिनांक 12/12/17

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2682/वि0स0 दिनांक 05.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(109)

श्री ताला मराण्डी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–4 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री ताला मराण्डी, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के मंडरो एवं बोरियो प्रखण्ड Schedule Area में आता है, जहाँ इन प्रखण्डों में आदिम जनजातियों का जमाबंदी जमीन पड़ती है? ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड के भोले–भाले आदिम जनजातियों के जमीन को बिचौलियों के माध्यम से जिला–प्रशासन के नाक के नीचे गैर आदिम जनजातियों को बेची जा रही है तथा बंगलादेशी घुसपैटियों के द्वारा अवैध रूप से दिनोदिन कब्जा बढ़ता जा रहा है ?	निबंधन कार्यालय से इस तरह के किसी खरीद–बिक्री की सूचना नहीं है। जमीन की अवैध खरीद–बिक्री से संबंधित मामला प्रकाश में आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब आदिम जनजातियों का जमीन अवैध खरीद–बिक्री पर रोक लगाने के साथ–साथ अवैध कब्जा किए गए जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए अवैध खरीद–बिक्री में संलिप्त दोषी पदाधिकारी बिचौलियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि०स०(तारां)–299/2017 – 5955/रा दिनांक– 12-12-17

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2694 वि०स०, दिनांक–05.12.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

C:\Users\Hema\Desktop\Vidhansabha 15-12-2017.docx

(110)

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 15-12-2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स0–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संचिका संख्या– 10/पारा मेडिकल– 07.07.2012 दिनांक– 30.01.2014 के द्वारा उक्त विभाग के विभागीय संकल्प सं0– 531 (4) दिनांक– 21.12.2004 के आलोक में संविदा के आधार पर नियुक्त सभी पारा कर्मियों को विभाग के उसी पद पर नियमित नियुक्त किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग में NRHM, JSACS, NVBDCP, RNTCP, NCD आदि कार्यक्रमों में विगत 10 वर्षों से अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे पारा मेडिकल कर्मियों को सरकार द्वारा विभाग में रिक्त पद रहते हुए भी समायोजित नहीं किया जा रहा है एवं समान कार्य के बदले समान वेतन भी नहीं दिया जा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संकल्प के आधार पर पारा मेडकल कर्मियों को स्थायी करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उल्लेखित कार्यक्रमों के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजन हेतु नियमावली गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0सभा0–07-48/17 411(15) राँची, दिनांक– 14/12/17

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 2681 दिनांक– 05-12-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.17
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(111)

श्रीमती विमला प्रधान, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा स्थित कारागार में महिला बन्दी के लिए वार्ड नहीं होने से बन्दी महिलाओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकरात्मक। मंडल कारा, सिमडेगा में महिला बंदी कक्ष (वार्ड) निर्मित एवं संचालित है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में 21 महिला बन्दी कारागार में है और कोई भी महिला कक्षपाल की नियुक्ति नहीं की गई है ;	अस्वीकरात्मक। वर्तमान में कारा में 26 महिला बंदी संसीमित है तथा 03 महिला कक्षपाल नियुक्त एवं कार्यरत है।
3	क्या यह बात सही है कि कुल 40 स्वीकृत कक्षपाल के विरूद्ध मात्र 03 कक्षपाल ही पदस्थापित है ;	अस्वीकरात्मक। कुल–40 स्वीकृत कक्षपालों के पदो के विरूद्ध 36 कक्षपाल (33 भूतपूर्व सैनिक कक्षपाल सहित) कार्यरत एवं पदस्थापित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिमडेगा कारागार में महिला वार्ड का निर्माण एवं स्वीकृत कार्य बल के अनुसार कक्षपाल को पदस्थापित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	(1) सिमडेगा कारागार में महिला वार्ड का निर्माण के संबंध में कंडिका–1 में उत्तर दे दिया गया। (2) मंडल कारा, सिमडेगा में कक्षपाल के रिक्त पदों पर कक्षपालों का पदस्थापन किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–17/2017–7087/ राँची, दिनांक–13/12/17 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2688, दिनांक–05.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री साधु चरण महतो, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–07 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री साधु चरण महतो, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत आदित्यपुर एन०ए०सी० क्षेत्र वार्ड नं०–4 के प्लॉट नं०–1128,1129 में सरकारी तालाब है, जिस पर निकटवर्ती ग्राम धीराजगंज (श्रीडुंगरी), भाटिया,हथियाडीह आदि गाँवों के लोग अपने दैनिंदिनी उपयोग में इस्तेमाल करते हैं जो आस–पास के गाँवों का एकमात्र पारंपरिक जल का स्रोत है, ऐसे जल स्रोतों को बंद करते हुए औद्योगिक विकास का कोई प्रावधान नहीं है परन्तु उक्त प्लॉट को अवैध तरीके से आयडा को हस्तांतरित किया गया है जिससे आस–पास के ग्रामीणों के समक्ष अपने दैनिंदिनी उपयोग के लिए जल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है,		अस्वीकारात्मक। NAC सर्वे के अनुसार आदित्यपुर वार्ड सं०–4 के अंतर्गत प्लॉट नं०.–1128,1129 रकबा क्रमशः–0.70.80 हेक्टेयर एवं 0.80.60 हेक्टेयर, किस्म–तालाब, खाता सं०–296 वन विभाग के खाते की भूमि है एवं ग्राम–धीराजगंज (श्रीडुंगरी), भाटिया, हथियाडीह भी NAC क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। वर्णित भूमि आयडा को विधिवत हस्तांतरित है। यहाँ अवस्थित तालाब का नियमित उपयोग नहीं होता है। साथ ही संबंधित क्षेत्र में अन्य जलस्रोत भी हैं जिससे जल की किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त प्लॉट को आयडा क्षेत्र से मुक्त करते हुए सार्वजनिक उपयोग हेतु तालाब को सुरक्षित रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, और, नहीं तो क्यों ?		वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/स.भू.वि.स.(तारां.)–131/2017 6021(4)/रा., राँची, दिनांक–14-12-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–2804/वि.स., दिनांक–08.12.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री फूलचन्द मंडल, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– स 16 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड अन्तर्गत बलियापुर पश्चिम पंचायत में निर्माणाधीन 40 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालाडीह एवं गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत मोरंगा पंचायत में निर्माणाधीन 40 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अम्बोना मोड़ का निर्माण कार्य विभागीय रोक होने के कारण लंबित है :	आंशिक स्वीकारात्मक। धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड एवं गोविन्दपुर प्रखण्ड में 30 शय्यावाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की योजना का निर्माण, कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में मानक प्राक्कलन के आधार पर कुल 3,53,59,200/– प्रति केन्द्र योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसका निर्माण कार्य उपायुक्त, धनबाद के द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो का लंबित कार्य पुरा करवने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित है :	स्वीकारात्मक । उपायुक्त, धनबाद से वर्तमान अनुसूचित दर पर पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं अन्य बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गई है। पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाएगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड – 1 में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो का लंबित कार्य को अविलम्ब पुरा करवाना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 80/17– 1741 स्वा0, राँची, दिनांक: 12.12.17

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2701/वि0स0, दिनांक– 05.12.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/17

सरकार के उप सचिव ।

(114)

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत सरिया निवासी रेलवे इंजिनियर मधु समजदार की मौत लातेहार में 06.07.2017 को हुयी थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित इंजिनियर की मौत लातेहार रेलवे साईडिंग के पास ही डोभानुमा स्थल में पानी में डुबने से हुयी थी जो बेहद संदेहास्पद है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Cardio Respiratory failure due to drowning बताया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित मृतक के परिजनों ने पानी में डुबने से हुयी मौत पर संदेह जताते हुए हत्या की आशंका सार्वजनिक तौर पर जतायी है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित इंजिनियर की मौत की गुत्थी सुलझाने हेतु C.B.I से जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस काण्ड के अनुसंधान समग्रता से तथा वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जा रहा है। अभी तक के अनुसंधान एवं पोस्टमार्टम के अनुसार मृत्यु का कारण Cardio Respiratory failure due to drowning पता चला है। इस काण्ड की जाँच CBI से कराने के संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–45/2017 7187/ राँची, दिनांक– 13/12/17 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2797, दिनांक–08.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17
सरकार के संयुक्त सचिव।

115 1541 13-12-17

श्रीमती जोबा मांझी, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्रनि–03 का उत्तर सामग्री –

1	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती जोबा मांझी माननीय सदस्य विधानसभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि नोडल पदाधिकारी –सह– जिला नियोजन पदाधिकारी, प0 सिंहभूम चाईबासा एवं निदेशालय पत्रांक–251, दिनांक– 03.03.2017 के आलोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों को प्रतिनियुक्त किया गया है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है। निदेशालय पत्रांक –251 दिनांक 03.03.2017 के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु एक कमिटि गठित की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि आवंटित सीट के अनुरूप आवेदन प्राप्त है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुदेशकों की प्रतिनियुक्ति कर शीघ्र प्रशिक्षण प्रारंभ करने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के 13 जिलों के 105 अनाच्छादित प्रखण्डों में संविदा पर अनुदेशकों की नियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए जाने के फलस्वरूप मामला विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश के आलोक में अनुदेशकों की नियुक्ति उक्त सभी संस्थानों में कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जायेगा।

13-12-17

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0 (वि0स0)–33/2017 1541 राँची दिनांक 13-12-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0– 2803 दिनांक 08.12.17 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13-12-17

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(116)

श्री जानकी प्रसाद यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सैनिक स्कूल तिलैया, कोडरमा प्रबंधन द्वारा बरकट्ठा के माननीय विधायक श्री जानकी प्रसाद यादव पर दिनांक–27.11.2017 को तिलैया डैम ओ०पी० में धारा–144 के उल्लंघन का सनहा दर्ज कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त अवधि में रा०प्रा० विद्यालय कांठी के अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा धारा–144 नहीं लागू किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त के क्रम में सैनिक स्कूल तिलैया प्रबंधन द्वारा प्रेस वार्ता की गयी, जिसमें उक्त तिथि को भवन निर्माण स्थल पर धारा–144 लागू रहने की तथ्यहीन एवं मनगढ़ंत बातें कर माननीय विधायक की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया ;	उक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार माननीय विधायक पर झूठा सनहा दर्ज करने एवं प्रेस वार्ता कर उनके छवि को धूमिल करने को प्रयास करने के कारण, सैनिक स्कूल, तिलैया प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–44/2017 7188/ राँची, दिनांक–13/12/17 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2777, दिनांक–07.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

(117)

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–07 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि श्री विनोद कुमार साहा, सिविल सर्जन, जामताड़ा पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप में जामताड़ा जिला के सिविल सर्जन के पद से हटाये गये थे और पुनः इनका पदस्थापन जामताड़ा जिला में ही सिविल सर्जन के पद पर कर दिया गया ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या 827(3) दिनांक 30.06.2015 द्वारा डॉ0 विनोद कुमार साहा को सिविल सर्जन, जामताड़ा के पद से स्थानान्तरित करते हुए, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया। विभागीय अभिलेखो से यह नही स्थापित होता है कि उक्त स्थानान्तरण भ्रष्टाचार के आरोप के कारण किया गया था। पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या 292(3) दिनांक 18.03.2016 द्वारा डॉ0 विनोद कुमार साहा को सिविल सर्जन एवं समकक्ष स्तर पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए, सिविल सर्जन, दुमका के पद पर पदस्थापित किया गया। डॉ0 विनोद कुमार साहा के अभ्यावेदन के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या 926(3) दिनांक 28.07.2017 द्वारा डॉ0 विनोद कुमार साहा का स्थानान्तरण सिविल सर्जन, दुमका के पद से सिविल सर्जन जामताड़ा के पद पर किया गया।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे पदाधिकारी को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/विधान सभा–03–33/2017 1295(3) राँची, दिनांक: 14.12.2017

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2670/वि0स0 दिनांक 04.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(118)

श्री अनंत कुमार ओझा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–05 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला में यूनिट के अनुरूप चिकित्सों की कमी के कारण स्थानीय आमजन चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने से वंचित है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। पदस्थापित चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के राजमहल एवं उधवा प्रखण्ड सहित जिला के 16 स्वास्थ्य केन्द्र में शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं रहने के कारण स्थानीय आमजन शिशु के बेहतर ईलाज कराने में कठिनाईयाँ हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार यह बताए कि साहेबगंज जिला में कितने चिकित्सक के पद सृजित है, जिसके अनुसार वर्त्तमान में चिकित्सक पदस्थापित है तथा खण्ड (1) व (2) में यूनिट के अनुरूप चिकित्सकों तथा शिशु रोग विशेषज्ञों का पदस्थापन कर चिकित्सा सुविधा दुरूस्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?	साहेबगंज जिला में चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सक संवर्ग के 125 पद सृजित है, जिसके विरूद्ध 56 चिकित्सक पदस्थापित है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सकों के उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत पद के विरूद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक को पदस्थापित किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0स0–03–35/2017 1292(3) राँची, दिनांक 14.12.17

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2668/वि0स0 दिनांक 04.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(119)

1540
13-12-17

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्रनि–02 का उत्तर सामग्री –

1	प्रश्नकर्त्ता श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता माननीय सदस्य विधानसभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड हैदरनगर, पिपरा, हरिहरगंज, तथा मोहम्मदगंज में आई0टी0आई0 कॉलेज में अभी तक शैक्षणिक कार्य शुरू नहीं किये गये है, जिससे गरीब छात्रों को पठन–पाठन में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आसन्न सत्र से ही पठन–पाठन सुचारू रूप से कराने का विचार रखती है; हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के 13 जिलों के 105 अनाच्छादित प्रखण्डों में संविदा पर अनुदेशकों की नियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए जाने के फलस्वरूप मामला विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश के आलोक में अनुदेशकों की नियुक्ति उक्त सभी संस्थानों में कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जायेगा।

13-12-17
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0 (वि0स0)–31/2017 1540 राँची दिनांक 13-12-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0– 2696 दिनांक 05.12.17 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13-12-17
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

120

श्री रविन्द्रनाथ महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 15-12-2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा सदर अस्पताल में ब्लड बैंक सेवा का भवन बने एक वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी राज्य मुख्यालय ने ब्लड बैंक संचालन के लिए संबंधित संशाधन सिविल सर्जन, कार्यालय को अभितक उपलब्ध नहीं कराया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। ब्लड बैंक भवन, जामताड़ा का हस्तगत दिनांक–26.09.17 को हुआ है। उपकरण एवं अन्य सामग्री जो विभाग से उपलब्ध होनी है।उपलब्ध हो जाने के पश्चात शीघ्र ही ब्लड बैंक का संचालन कर दिया जायेगा।
2-	क्या यह बात सही है कि मरीजों को जान बचाने के लिए एक यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर मरीजों का अन्यत्र जिला रेफर कर दिया जाता है जिससे अधिकतर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते है ;	अस्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, जामताड़ा में पूर्व में रक्त संग्रह ईकाई संचालित था, परन्तु रक्त संग्रह ईकाई के प्रशिक्षित चिकित्सा पदाधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात वर्त्तमान में रक्त संग्रह ईकाई बंद है। रक्त संग्रह ईकाई चालू करने हेतु चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सकों के प्रशिक्षण हो जाने के पश्चात रक्त संग्रह ईकाई को संचालित कर दिया जायेगा। साथ ही उपकरण एवं अन्य सामग्री प्राप्त होने के पश्चात ब्लड बैंक, जामताड़ा को चालू कर दिया जायेगा। वर्त्तमान में मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क एम्बुलेंस के द्वारा अविलम्ब पी०एम०सी०एच० धनबाद में भर्ती करवाया जाता है। मरीज को रेफर करने के क्रम में रास्ते में हुई मृत्यु की सूचना अभीतक नहीं है ।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला में ब्लड बैंक को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में उत्तर स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०सभा०–07-46/17 405(15) राँची, दिनांक– 12/12/17
प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 2669 दिनांक–04-12-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.12.17
सरकार के उप सचिव

Tiwari

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या रा0 01 का उत्तर

प्रश्न		उत्तर
श्री राम कुमार पाहन, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड में 1966–67 ई0 में स्थापित गेतलसूद बांध से उक्त प्रखण्ड के ग्राम मसनिया से विस्थापित हुए सभी विस्थापित परिवारों को खाता सं0–84 में बसाया गया है,		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त गांव के सभी विस्थापित परिवारों को 1966 ई0 से अब तक पट्टा नहीं मिलने से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं,		आंशिक स्वीकारात्मक। उल्लेखनीय है कि पंजी–II के अनुसार 39 लाभुकों की जमाबंदी कायम है।
3. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के विस्थापित परिवारों को पट्टा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–820/नि.रा., दिनांक–18.11.2016 द्वारा भू–अर्जन से प्रभावित/विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित वास स्थल एवं आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत है जिसके आलोक में कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–08ए./भू.अ.नि.वि.स. (तारां.)–217/2017 – 895/रा., दिनांक– 14-12-17

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके गै.स.सं.–2673/वि.स., दिनांक–04.12.17 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ /प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ उप सचिव, पथ निर्माण विभाग/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/12/17
14.12.17
सरकार के उप सचिव

Vidhan sabha (lalit)

122

श्री आलमगीर आलम, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 15-12-2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बरहरवा, उधवा प्रखण्ड एवं पाकुड़ जिला के पाकुड़ एवं महेशपुर प्रखण्ड में डेंगु का प्रकोप रहने से वर्ष 2016 से अब तक डेंगु ग्रसित 10 मरीजों की मृत्यु समुचित चिकित्सा के अभाव मे हो गयी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2016 में अक्टूबर माह तक साहेबगंज जिले में संदिग्ध कुल 186 मरीजों का रक्तपट्ट संग्रह कर ELISA जाँच हेतु रिम्स, रांची भेजा गया। जिसमें 83 धनात्मक पाया गया। वर्ष 2017 में दिसम्बर 17 तक कुल 44 रक्तपट्ट संग्रह कर जाँच हेतु रिम्स, रांची भेजा गया जिसमें 16 धनात्मक पाया गया। जो प्रभारी चिकित्सा प्राधिकारी के संपर्क में रहे एवं उपचारोपरांत वे स्वास्थ्य लाभ ले रहें हैं। जिले में 2016 से लेकर अबतक डेंगु से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। समाचार पत्रों में प्रकाशित डेंगु से मृत्यु की सूचना की जाँच करने पर पाया गया कि उनकी मृत्यु अन्य बिमारी से हुई थी। वर्ष 2016 में 32 संभावित डेंगु के मरीज पाये गये जिनका Blood Serum जाँच हेतु रिम्स, रांची भेज दी गयी। जिसमें 07 डेंगु के धनात्मक मरीज पाये गये । वर्ष 2017 में कुल 69 संभावित डेंगु के मरीज पाये गये जिनका Blood Serum जाँच हेतु रिम्स, रांची भेज दी गयी। जिसमें 03 डेंगु के धनात्मक मरीज पाये गये जिनका पूर्ण ईलाज सदर अस्पताल पाकुड़ में किया गया एवं स्वस्थ्य होकर वे घर वापस गये। इस जिले में डेंगु से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई।
2-	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला के स्वास्थ्य केन्द्रों में डेंगु ग्रसित मरीजों की समुचित की चिकित्सा व्यवस्था नहीं रहने के कारण डेंगु ग्रसित मरीज ईलाज के लिए भागलपुर, बिहार एवं पश्चिम बंगाल जाने को मजबूर है ;	अस्वीकारात्मक। प्लेटलेट काउन्ट की व्यवस्था सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में एस०आर०एल० लैब में उपलब्ध है। संदिग्ध मरीजों का ब्लड सैंपल ELISA जाँच हेतु रिम्स, रांची और पी०एम०सी०एच०, धनबाद भेजा जाता है। पाकुड़ जिला के सदर अस्पताल में डेंगु धनात्मक मरीजों का ईलाज की जाती है। केवल गंभीर डेंगु के मरीजों को बेहतर ईलाज हेतु रिम्स, रांची या पी०एम०सी०एच०, धनबाद रेफर किया जाता है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला के डेंगु प्रभावित प्रखण्डों में बढ़ते डेंगु के प्रकोप को रोकने तथा वर्णित जिला के स्वास्थ्य केन्द्रों में डेंगु ग्रसित मरीजों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। डेंगु के रोकथाम हेतु बचाव कार्य करते हुए त्वरित कार्रवाई एवं व्यापक प्रचार प्रसार, मास सर्वे, कंटेनर सर्वे, टेमीफोस का छिड़काव, किटनाशी का छिड़काव एवं फौगिंग कार्य किया गया है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०सभा०–07-44/17 408(15) राँची, दिनांक– 14/12/17

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 2665 दिनांक– 04-12-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.17

सरकार के उप सचिव

Tiwari

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– स0 15 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड मुख्यालय में आम जनता के लिए सुलभ सुविधा हेतु एक बड़े अस्पताल का निर्माण किया गया है,		स्वीकारात्मक। पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड मुख्यालय में वित्तीय वर्ष 2011–12 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 180(5)ब दिनांक 11.02.2012 द्वारा कुल 3,74,95,500/– की लागत पर 30 शय्यावाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
2. क्या यह बात सही है कि पुराने प्रखण्ड अस्पताल को नव–निर्मित अस्पताल भवन में स्थानान्तरित कर देने से वहाँ के गरीब मरीजों को अधिक से अधिक सुलभ सुविधा उपलब्ध हो सकेगी,		आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गरीबों को स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु (बेहतर ईलाज के लिए) नव–निर्मित अस्पताल में पुराने प्रखण्ड अस्पताल को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन में बिजली का Connection नहीं होने के कारण संचालित नही किया गया है। नवनिर्मित भवन में 3 फेज बिजली कनेक्शन के लिए झारखण्ड उर्जा विकास निगम को नियमानुसार आवेदन दिया गया है। बिजली का कनेक्शन प्राप्त होते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन को संचालित कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 81/17– 1739 स्था0, राँची, दिनांक: 12.12.17

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2685/वि0स0, दिनांक– 05.12.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/17

सरकार के उप सचिव ।

124

श्री शशिभूषण सामाड, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–22 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर स्थित अनुमण्डल अस्पताल को पूर्ण अनुमंडल अस्पताल का दर्जा प्राप्त नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या 159(3) दिनांक 25.11.06 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चक्रधरपुर को उत्क्रमित कर अनुमण्डलीय अस्पताल का दर्जा प्रदान किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित अस्पताल में चिकित्सकों का अनुपातिक पद सृजन नहीं है, जिससे चिकित्सा सेवा प्रभावित हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या 706 दिनांक 17.06.13 द्वारा अनुमण्डलीय अस्पताल, चक्रधरपुर हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा पदाधिकारी का कुल 11 पद सृजित किया गया है। पदस्थापित चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अस्पताल को अनुमंडल अस्पताल का दर्जा प्राप्त हो जाने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी ;	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार खण्ड– 1 में वर्णित अस्पताल को पूर्ण अनुमण्डल अस्पताल का दर्जा दे कर चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0स0–03–38/2017 1286(3) राँची, दिनांक: 13/12/17

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2801/वि0स0 दिनांक 08.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(125)

श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर के मानगों थाना अंतर्गत 05 दिसम्बर, 2014 को राजनीतिक कार्यकर्त्ता रशीद खान की हत्या हो गयी थी जो मानगों थाना काण्ड संख्या–608/14 में दर्ज है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित इस हत्या काण्ड में आज दिनांक–30.11.2017 तक भी सभी संलिप्त आरोपियों का नतो गिरफ्तारी हो पायी है और न ही समुचित जांच हो पाया है ;	अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा इस काण्ड का अनुसंधान भार ग्रहण करने के उपरान्त इस काण्ड में साक्ष्यानुसार संलिप्त अपराधकर्मी अप्राथमिकी अभियुक्त विपिन शर्मा, पे०–सचिदानन्द शर्मा, सा०–कुमरूम बस्ती, थाना–मानगो, जिला–जमशेदपुर ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है जिसके विरूद्ध आरोप पत्र 27 संख्या–141/15 दिनांक–20.07.2015 धारा 302/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत समर्पित किया जा चुका है। अनुसंधान के दरम्यान जावेद खाँ, रेयाज खाँ एवं दीपक चौधरी की संलिप्ता के बिन्दु पर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। काण्ड अनुसंधानान्तर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त हत्या काण्ड पर सी०बी०आई० से जांच कराने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 02 में वर्णित स्थिति के आलोक में प्रश्नगत काण्ड की जांच सी०बी०आई० से कराने का कोई प्रस्ताव तत्काल सरकार के विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–42/2017 7186/ राँची, दिनांक– 13/12/17 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2695, दिनांक–05.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

(126)

श्रीमती विमला प्रधान, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–03 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती विमला प्रधान, माननीया स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प के अनुसार सरकारी जमीन की लीज या स्थायी हस्तांतरण, के बाद 12 माह के अन्दर जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू हो जाना चाहिए तथा जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी जाती है उसे 5 साल में पूरा हो जाना चहिए अन्यथा तय अवधि में प्रोजेक्ट चालू नहीं होने पर लीज/स्थायी हस्तांतरण रद्द हो जायेगी और जमीन स्वतः भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी। गांधी मैदान डोरण्डा की भूमि 2007 में कृषि उत्पादन बाजार समिति को स्थायी हस्तांतरण की गई थी लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी कोई निर्माण नहीं कराया जा सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नगत भूमि W.P.(PIL) No.-737/2005 में पारित आदेश के आलोक में हस्तांतरित की गयी थी एवं W.P.(PIL) No.-27/2008 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य को चालू रखने का आदेश पारित किया गया था। पुनः प्रश्नगत मामले से संबंधित वाद W.P.(PIL) No.-880/2012 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि मास्टर प्लान रांची 2037 में मौजा डोरण्डा के खाता सं0–218 प्लॉट सं0–317, 318, 319, 320, 321 को आवासीय क्षेत्र घोषित किया गया है और इस हस्तांतरित गांधी मैदान की भूमि पर किसी प्रकार के व्यावसायिक बाजार का निर्माण नहीं किया जा सकता है ;	कंडिका–1 में उत्तरित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूर्व में हस्तांतरित गांधी मैदान डोरण्डा की जमीन जो राजस्व विभाग के संकल्प के अनुसार स्वतः विभाग को वापस हो चुकी है के स्थान पर अन्यत्र व्यावसायिक बाजार हेतु मास्टर प्लान के अनुसार जमीन आवंटित करना चाहती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	W.P.(PIL) No.-880/2012 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में मध्यस्थता हेतु मध्यस्थता केन्द्र, झालसा में विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–6/ वि0स0 (तारां0)– 17/2017 6022/रा0 राँची, दिनांक– 14-12-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–776/वि0स0, दिनांक–19.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

(127)

श्री बादल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 15.12.17 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–स–20 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता श्री बादल, मा०स०वि०स०, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाता श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा० चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है, कि अभियान निदेशक, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के पत्रांक–9/आर०सी०एच०–234/2011–809 (एम०डी०) दिनांक 03.11.17 के आलोक में श्रीमती सुधा कुमारी, फिजियोथेरापिस्ट, सरायकेला के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास की जाँच करने को समिति का गठन किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अभियान निदेशक, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के पत्रांक–9/आर०सी०एच०–234/2011–809 (एम०डी०) दिनांक– 03.11.17 के आलोक में गठित समिति को अपना रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर देना था,	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो समिति कितनी बार जांच के लिए सरायकेला गयी तथा समिति के द्वारा कितने दिनों में रिपोर्ट जमा किया गया नहीं तो अबतक क्यों नहीं किया गया एवं इसके लिए सरकार दोषी पदाधिकारी के उपर क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गठित जाँच समिति जाँच हेतु दिनांक 13.12.17 को सरायकेला जाकर जाँच कर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–21/ वि०स०–07–09/2017 48(21) स्वा०/राँची/दिनांक– 14.12.2017

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं० 2800 दिनांक 08.12.17 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(128)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य, विधान सभा, झारखण्ड द्वारा दिनांक–13.12.2017 को सदन में पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या– ग्राम–02 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत नगर उटारी अनुमण्डल की स्थापना 1991 में हुई थी। स्थापना के 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी अनुमण्डल स्तरीय सिविल कार्ट की स्थापना नही किया जा सका है ;	:–	स्वीकारात्मक। नगर उटारी अनुमण्डल की स्थापना वर्ष 1992 में हुई है।
2	क्या यह सही है कि सिविल कार्ट की स्थापना नही होने के कारण अनुमण्डल स्तर के सभी विवादित मामले के लिए मुख्यालय गढ़वा जाना पड़ता है जिससे आम जनता को काफी दिक्कत होती है ;	:–	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गढ़वा जिलान्तर्गत नगर उटारी अनुमण्डल मे सिविल कार्ट की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	:–	न्यायालय भवन का निर्माण के पश्चात् उक्त का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है तथा उपकारा निर्माणाधीन है, सम्प्रति पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में आवासीय एवं गैर–अवासीय भवनों का निर्माण कार्य आपातत बंद है।

झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग,

ज्ञापांक–बी0/विधि–(वि0स0प्र0)–17/2017– 2673/जे0, राँची, दिनांक– 11 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को ज्ञाप सं0–2620/वि0स0, दिनांक–30.11.2017 के के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(प्रवास कुमार सिंह) 11.12
प्रधान सचिव –सह–विधि परामर्शी।

श्री राजकुमार यादव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– से 13 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 01–क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला का प्रखण्ड गांवा क्षेत्र के अधिकतम आबादी के ग्रामीण खेती/ किसानों/ मजदूरों पर ही आश्रित है ;	स्वीकारात्मक।
02–क्या यह बात सही है कि गांवा प्रखण्ड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गांवा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिहरा का भवन निर्माण कार्य अब तक आधा अधुरा है ;	स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांवा के भवन निर्माण की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल 3,53,59,200/– (तीन करोड़ तिरपन लाख उनसठ हजार दो सौ) रुपये मात्र की लागत पर मानक प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका निर्माण कार्य उपायुक्त, गिरिडीह के द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी एन.आर.ई.पी., गिरिडीह के द्वारा कराया जा रहा है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिहरा के भवन निर्माण की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में कुल रु0 1,02,08,000/– (एक करोड़ दो लाख आठ हजार) रुपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका निर्माण कार्य उपायुक्त, गिरिडीह के द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी कार्यपालक अभियन्ता, जिला परिषद, गिरिडीह के द्वारा कराया जा रहा है। उपरोक्त दोनों योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु वर्तमान अनुसूचित दर पर उपायुक्त, गिरिडीह से पुनरीक्षित प्राक्कलन की मांग की गयी है। पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त होते ही विभाग के द्वारा शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाएगी।
03–क्या यह बात सही है कि सृजित पदों के अनुरूप उपरोक्त स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के पदस्थापित नहीं रहने से ग्रामीण गरीबों का इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है ;	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांवा में चिकित्सा पदाधिकारी–4, परिवार कल्याण कार्यकर्त्ता–1, स्वास्थ्य सेवक–3, ए0एन0एम0–3, एम0पी0डब्ल्यू0–3 के द्वारा चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिहरा में रोस्टर के अनुसार सप्ताह में दो दिन डॉ0 अरविन्द कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांवा के द्वारा तथा श्रीमती उषा देवी, ए0एन0एम0, एम0पी0डब्ल्यू0–2, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी–1 द्वारा चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है।
04–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त अधुरे स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर सृजित पदो के अनुरूप चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त कर उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 82/13– 1759 स्वा0, राँची, दिनांकः 14.12.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2683/वि0स0, दिनांक– 05.12.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

सरकार के उप सचिव ।

(130)

श्री प्रकाश राम, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मुकेश प्रसाद, ग्राम+पो०–मोंगर, थाना+जिला–लातेहार का हत्या उग्रवादियों द्वारा की गयी थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मृतक मुकेश प्रसाद की आश्रित पत्नी मसो० रेखा देवी को आज तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी/अनुग्रह अनुदान नहीं मिला ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–684, दिनांक–31.08.2017 द्वारा अपर मु० सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन से आश्रित का सारा दस्तावेज लगाते हुए दिशा–निर्देश मांगा गया है जो अब तक अप्राप्त है ;	प्रश्नगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में उपायुक्त, लातेहार से विभागीय पत्रांक–7037, दिनांक–12.12.2017 द्वारा स्व० मुकेश प्रसाद की आश्रिता पत्नी मो० रेखा देवी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव की मांग की गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुकेश प्रसाद के आश्रित पत्नी मसो० रेखा देवी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, लातेहार से प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स० (02)–12/2017 7088 राँची, दिनांक– 13/12/17 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2798, दिनांक–08.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

(131)

प्रो० जयप्रकाश वर्मा, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–03 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016–17 में गिरिडीह जिला में आपदा राहत हेतु कितनी राशि प्रदान की गयी है, तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई राशि कहाँ–कहाँ खर्च की गई।	वित्तीय वर्ष 2016–17 में गिरिडीह जिला में आपदा राहत हेतु कुल–84,79,700/–(चौरासी लाख उन्यासी हजार सात सौ) रू० प्रदान की गई है। आपदा राहत राशि में से कुल–67,58,000/–(सड़सठ लाख अनठावन हजार) रू० 13 अंचलों में व्यय की गई।
2. क्या यह बात सही है कि माण्डेय विधान–सभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखण्ड में अतिवृष्टि से दिनांक–10.10.17 को कई पूलों के गार्डवाल एवं अपरोच पथ टूट गए हैं।	ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को स्थानांतरित की गई है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अतिवृष्टि से टूटे हुए पूलों के गार्डवाल एवं अपरोच पथों को बनाने की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–32/2017–1266/आ०प्र०, राँची, दिनांक–14/12/17

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2689, दिनांक–05.12.2017 के प्रसंग में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को ऑनलाईन प्रश्नोत्तर प्रणाली में उत्तर अपलोड करने निमित्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12
सरकार के अपर सचिव

(132)

श्री नलिन सोरेन, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–14 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड रानेश्वर आदिवासी बहुल क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड रानेश्वर स्थित P.H.C. रघुनाथपुर एवं पंचायत गाविन्दपुर स्थित P.H.C. आमजोड़ा में सृजित पदों के अनुरूप चिकित्सक/स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गयी है, जिसके कारण इलाज के लिए गरीबों को काफी तकलीफ उठाना पड़ता है ;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानेश्वर, दुमका में 2 चिकित्सक कार्यरत है तथा 3 अन्य कर्मी कार्यरत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमजोड़ा में चिकित्सा पदाधिकारी के 2 पद रिक्त है एवं 4 अन्य कर्मी कार्यरत है। पदस्थापित चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मियों द्वारा उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार उपरोक्त दोनों P.H.C. केन्द्रों में चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त करने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक और नहीं तो क्यों ?	चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/विधान सभा–03–37/2017 1276(3) राँची, दिनांक: 12/12/17

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2684/वि0स0 दिनांक 05.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

श्री योगेश्वर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–05 की उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि उच्च न्यायालय के दिनांक 28.03.2011 के आदेश के आलोक में निगम संबंधी मीटर बॉक्स खरीदगी मामले में सी०बी०आई० ने दिनांक 15.06.2012 को केस दर्ज कर, अनुसंधान पूर्ण कर Final Report of Closure दिनांक 26.12.2013 को CBI न्यायालय में समर्पित किया है, जिसे दिनांक 07.09.2015 को हुई उच्चस्तरीय बैठक में सी०बी०आई० द्वारा संपुष्ट कर सूचना पत्रांक 1965 दिनांक 14.09.15 को ACB को दी गई है।	**आंशिक स्वीकारात्मक** दिनांक 07.09.2015 को अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में प्रभारी पुलिस उप–महानिरीक्षक, सी०बी०आई०, राँची द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में सी०बी०आई० द्वारा जे०एस०ई०बी० के मात्र Transformer एवं Meter Box क्रय से संबंधित मामलों की जाँच की जा रही है, APDRP से संबंधित मामलों की नही। उक्त के परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2015 एवं माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में निगरानी थाना काण्ड संख्या–02/11 एवं 19/2013 की जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची को पूर्ववत् जारी रखने हेतु विभागीय पत्रांक 1965 दिनांक 14.09.2015 द्वारा निदेश दिया गया।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त मामले की सी०बी०आई० जाँच के बाद भी ACB द्वारा जाँच की जा रही है, जो उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश की अवमानना है (Ashok Todi Vrs. Kishwar Jahan का केश का आदेश)	**अस्वीकारात्मक** CBI द्वारा की जा रही जाँच एवं ACB द्वारा की जा रही जाँच एक–दुसरे से भिन्न है, जिसे कंडिका–1 में स्पष्ट किया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि एक ही मामले की जाँच CBI, ACB एवं विभाग द्वारा किये जाने से ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों में भय का माहौल है, नकारात्मक मानसिकता पनप रही है, किसी भी काम के लिए स्वतंत्र निर्णय नही ले पा रहे है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव राज्य की विकास संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन पर पड़ेगा।	दिनांक 07.09.2015 को अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में प्रभारी पुलिस महानिदेशक, सी०बी०आई०, राँची द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में सी०बी०आई० द्वारा जे०एस०ई०बी० के मात्र Transformer एवं Meter Box क्रय से संबंधित मामलों की जाँच की जा रही है, APDRP से संबंधित मामलों की नही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा APDRP से संबंधित मामलों का अनुसंधान किया जा रहा है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मामले में ACB को प्रारंभिक जाँच बंद करने का आदेश देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(निगरानी)

ज्ञाप संख्या:06/नि०वि०/विधानसभा–01/2017 1755 /राँची, दिनांक 13/12/2017/

प्रतिलिपि: 200 प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2687 दिनांक 05.12.2017 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/2017

(संजय कुमार)
सरकार के उप सचिव।

(134)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–302, प्रश्नोत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	क्र० सं०	उत्तर
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स०		श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक–16.11.2016 को झारखण्ड सरकार के कैबिनेट द्वारा विस्थापित परिवारों को प्राप्त पुनर्वसित भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ?		स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अबतक बोकारो विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त पुनर्वासित भूमि का म्यूटेशन प्रारंभ नहीं किया गया है ;		अस्वीकारात्मक। बोकारो विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पुनर्वासित भूमि का घास अंचल में म्यूटेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है तथा 92 का म्यूटेशन किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विस्थापित परिवारों को प्राप्त पुनर्वासित भूमि का म्यूटेशन (दाखिल– खारिज) प्रारम करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?		उपयुक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–8 बी० / भू०अ०नि०, वि०स० (तारा०)–218 / 2017 296 / नि०रा०, राँची, दिनांक– 14-12-17

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–2674 / वि०स०, दिनांक–04.12.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रति (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.17
सरकार के उप सचिव।

135

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 15-12-2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि सदर अस्पताल, बोकारो में प्रतिदिन लगभग 400 से अधिक मरीज ओपीडी एवं आईपीडी में ईलाज कराते हैं, एवं अस्पताल में डायग्नोस्टिक, इमरजेंसी 24X7, आईसीटीसी, एनडीसी, बेबी केयर यूनिट संचालित है तथा वर्तमान में आईसीयु एवं एनआईसीयु का भी संचालन किया जाना है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि सदर अस्पताल, बोकारो में मैनपावर यथा सफाईकर्मी, ड्रेसर, सुरक्षागार्ड, चालक, ऑपरेटर इत्यादि की भारी कमी है, जिस कारण उपरोक्त सुविधाओं का सफलतापूर्वक संचालन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएँ सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा है ;	सदर अस्पताल, बोकारो में एच0एम0एस0 से न्यूनतम संख्या में दैनिक सफाईकर्मी एवं चालक बहाल है, एवं ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल में किया गया है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को बहाल करने हेतु प्रक्रिया चल रही है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सदर अस्पताल बोकारो में मैनपावर उपलब्ध करावाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपरोक्त उत्तर कंडिका– 2 में उल्लेखित है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0सभा0–07-45/17 406(15) राँची, दिनांक– 12/12/17

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 2672 दिनांक– 04-12-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.12.17

सरकार के उप सचिव

Thakur

(136)

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–13 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत वज्रपात से राहे प्रखण्ड के सताकी पंचायत स्थित कोंता टोली के विकास मुण्डा, पिता–एतवा मुण्डा का मौत दिनांक– 25.05.17 को हो गई, मंटु महली, पिता–महीपाल महली तथा सुधीर लोहरा, पिता–स्व० कलाचन्द लोहरा दोनों ग्राम– पोगड़ा पंचायत बसंतपुर निवासी की मौतें दिनांक–15.08.17 को हो गई, मीना देवी, पिता–स्व० दुलाल मुण्डा, ग्राम–सोसो, पंचायत –बंसिया की मौत दिनांक– 29.07.17 को तथा गुड़डी कुमारी, पिता–मुनीलाल लोहरा, पंचायत –बसंतपुर, ग्राम–पीपु की मौत दिनांक–02.06.12 को हुई है।	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वज्रपात से हुए मौत का मुआवजा शीघ्र भुगतान करने का प्रावधान है।	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राहे प्रखण्ड के उक्त सभी वज्रपात से मृत लोगों के परिजनों को निर्धारित मुआवजा देने एवं देरी के लिए दोषियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अपर समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक–263(i)/रा०, दिनांक–12.12.2017 के द्वारा सूचित किया गया है कि वज्रपात से मृतकों–स्व० विकास मुण्डा/स्व० मंटु महली/स्व० सुधीर लोहरा/स्व० मीना देवी/स्व० गुड़डी कुमारी के आश्रितों को भुगतान हेतु अनुग्रह अनुदान की कुल राशि 17,50,000/–(सतरह लाख पचास हजार) रूपये अंचलाधिकारी, राहे को उपलब्ध करा दी गई है।

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–33/2017–1273/आ०प्र०, राँची, दिनांक–14/12/17.

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2796, दिनांक–08.12.2017 के प्रसंग में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को ऑनलाईन प्रश्नोत्तर प्रणाली में उत्तर अपलोड करने निमित्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12

सरकार के अवर सचिव

(137)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का०–1 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि कैथी एक एतिहासिक लिपि है, जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में मुख्य रूप से उत्तर–पूर्व तथा उत्तर भारत में बृहत रूप से की जाती थी तथा वर्तमान में उक्त लिपि में उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार सहित झारखण्ड में अनेक न्यायिक, प्रशासनिक एवं निजी भू–अभिलेख संधारित है ?	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सन् 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन बिहार के न्यायालयों में उक्त लिपि को अधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त था ?	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य में खण्ड–1 में वर्णित लिपि के जानकारों के नहीं होने के कारण उक्त लिपि का अस्तित्व समाप्त हो गई है जिसके कारण राज्य गठन के पश्चात एकीकृत बिहार से झारखण्ड को जितनी भी भू–अभिलेख या महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हुई है उसमें अधिकांश कैथी लिपि में होने के कारण उक्त भू–अभिलेखों व दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद नहीं हो पा रही है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में भू–अभिलेख या महत्वपूर्ण दस्तावेज की कैथी लिपि को कैथी लिपि से देवनागरी में परिवर्तित करने वाले अनुवादक से अनुवाद कराकर भू–अभिलेख का Digitized किया गया है तथा भविष्य में देवनागरी लिपि के उपयोग में लाये जाने के कारण कैथी की आवश्यकता नहीं है। सन् 1960 के बाद जितने भी अभिलेख संधारित हुए है उसमें देवनागरी लिपि उपयोग में लिया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार राज्यहित में खण्ड–01 में वर्णित लिपि को राज्य में संरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में देवनागरी राजभाषा का लिपि है एवं सरकारी प्रचलन में है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक– 2/भू०अ०परि०निदे० वि०स०(तारां०)–73/2017–750/नि०रा० दिनांक– 14-12-17

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2686 वि०स०, दिनांक–05.12.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

सरकार के अवर सचिव

C:\Users\Hema\Desktop\Vidhansabha 15-12-2017.docx

(138) 1533 12/12/2017

श्री केदार हजरा माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक– 15.12.17 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या श्रनि–01 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री केदार हजरा माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान सभा क्षेत्र के जमुआ तथा देवरी प्रखण्ड में एक भी आई0टी0आई0 प्रशिक्षण महाविद्यालय नहीं है, जिससे स्थानीय गरीब बेरोजगार छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण कार्य में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमुआ विधान सभा क्षेत्र के जमुआ प्रखण्ड एवं देवरी प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	आगामी वित्तीय वर्षों में राज्य स्तर पर आई0टी0आई0 की आवश्यकता का आकलन एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर गिरीडीह जिलान्तर्गत जमुआ तथा देवरी प्रखंड में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पर सरकार विचार करेगी।

12.12.17

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :–5/प्रशि0 (वि0स0)–30/2017 1533 राँची, दिनांक 12/12/2017

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखंड विधान सभा ज्ञाप सं0 प्र0 2678 वि0स0 दिनांक 04.12.17. के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.12.17

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

(139)

माननीय स०वि०स०, श्री प्रकाश राम द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का०–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि स्व० शांति देवी, तत्कालीन अनुसेविका, सहयोग समितियाँ कार्यालय, लातेहार के आश्रित पुत्र श्री बलराम पासवान को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए, उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–679/स्था०, दिनांक–11.11.2017 को प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग से मार्ग दर्शन मांगा गया है;	स्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है कि शांति देवी के मरणोपरान्त आश्रित बलराम पासवान द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नौकरी हेतु विभागीय पत्रांक–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका 10 के नियमानुसार ससमय आवेदन दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, लातेहार के पत्र सं0–679, दिनांक– 11.11.2017 के साथ अनुलग्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में श्री बलराम पासवान द्वारा दिनांक–01.01.2006 को एक आवेदन प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है, जबकि तत्समय प्रभावी निदेश 13293, दिनांक–05.10.1991 के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के लिए दत्तक पुत्र आश्रित के रूप में परिभाषित ही नहीं थे।
03.	क्या यह बात सही है कि शांति देवी के मृत्यु के करीब 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके दत्तक पुत्र बलराम पासवान उम्र–24 वर्ष को आज तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिला जिससे इनकी आर्थिक दयनीय हो गयी है;	अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के लिए दत्तक पुत्र/पुत्री को आश्रित की श्रेणी में पत्र सं.0–431, दिनांक–24.01.2008 को सम्मिलित किया गया था इसलिए ऐसे मामलों पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।
04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बलराम पासवान को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी हेतु विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो, क्यों?	यह मामला अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति योग्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा०वि०स०–07–41/2017 का०– 12170 /रांची, दिनांक 13.12.17

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–2806/वि०स०, दिनांक–08.12.2017 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

140

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि तुमांग पंचायत की दूरी खलारी थाना से 06 किलोमीटर है जबकि मैक्लुस्कीगंज थाना मात्र 03 किलोमीटर पर स्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खलारी थाना से तुमांग पंचायत की दूरी अधिक रहने के कारण अपराधिक गतिविधियों को नियंत्रण ससमय नहीं हो पाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। खलारी थाना से तुमांग पंचायत की दूरी मैक्लुस्कीगंज थाना से अपेक्षाकृत अधिक है, परन्तु इस क्षेत्र में खलारी थाना के द्वारा आपराधिक गतिविधि पर सतत् नियंत्रण रखा जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाना में सम्मिलित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तुमांग पंचायत को मैक्लुस्किगंज थाना में सम्मिलित करने के संबंध में विभाग द्वारा आयुक्त, द० छोटानागपुर, राँची से प्रस्ताव की मांग की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इस संबंध में आयुक्त, द० छोटानागपुर, राँची से प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–32/2017 7085 राँची, दिनांक–13/12/17 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2774, दिनांक–07.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

(14)

प्रो० जय प्रकाश वर्मा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 15-12-2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –स–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत बेंगाबाद प्रखण्ड में चपुआडीह और गाण्डेय प्रखण्ड में घाटकुल पंचायत के लेदो में स्वा० उपकेन्द्र बनकर तैयार हो गया है ;	स्वीकारात्मक। बेंगाबाद प्रखण्ड के स्वास्थ्य उपकेन्द्र, चपुआडीह स्वीकृत नहीं है। फलतः कार्य संचालन हेतु कर्मियों का पद सृजित नहीं है। चपुआडीह स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्मित भवन का उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय व्यवस्था से श्रीमती मंजु कुमारी ए०एन०एम० एवं श्री सजल कुमार तिवारी एम०पी०डब्लू० को प्रतिनियुक्त कर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही है तथा मरीजों को उपचारित किया जा रहा है। गाण्डेय प्रखण्ड के स्वास्थ्य उपकेन्द्र लेदो स्वीकृत है तथा निर्मित भवन में कार्य संचालन किया जा रहा है इस केन्द्र में श्रीमती सिम्पी कुमारी सिंह, श्रीमती उर्मिला देवी, दो ए०एन०एम० तथा श्री जिआयुर रहमान, पु०क० वर्गीय कर्मचारी (पु०क०सेवक) प्रतिनियुक्त है तथा नियमित रूप से कार्य सम्पादित कर रहें है।
2-	क्या यह बात सही है कि बेंगाबाद के छोटकी खरगडीहा, लुप्पी, नगड़ी, भंवरडीह, मुरगुमी, साठीगाव आदि स्वा० उपकेन्द्र बंद रहता है ;	अस्वीकारात्मक। बेंगाबाद के निम्नांकित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में कर्मी कार्यरत जिनके द्वारा उपकेन्द्र का कार्य किया जाता है – 1. स्वा० उपकेन्द्र, छोटकी खरगडीहा – श्रीमती द्रोपदी देवी, ए०एन०एम०; श्रीमती गौतम दास, एम० पी० डब्लू० 2. स्वा० उपकेन्द्र, लुप्पी – श्रीमती सुनीता मुर्मू, ए०एन०एम०; श्री तुलसीराम मंडल, ए०पी०डब्लू० 3. स्वा० उपकेन्द्र नगड़ी – श्रीमती मालती शर्मा, ए०एन०एम०; श्री सहदेव महतो, ए०पी०डब्लू० 4. स्वा० उपकेन्द्र, भंवरडीह – श्रीमती पूनम ठाकुर, ए०एन०एम०; श्री संजय कुमार शर्मा, ए०पी०डब्लू० 5. स्वा० उपकेन्द्र, मुरगुमी – श्रीमती संगीता जायसवी, ए०एन०एम०; श्री संतु साद, ए०पी०डब्लू०
3-	क्या यह बात सही है कि गाण्डेय प्रखण्ड के गाण्डेय, पर्वतपुर, देवनडीह, अर्जुनबाद, बेलाटांड में अवस्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र हमेशा बंद रहता है ;	अस्वीकारात्मक। गाण्डेय प्रखण्ड के निम्नांकित स्वास्थ्य उपकेन्द्र जो स्वीकृत है चालू स्थिति में है, जहाँ निम्नांकित कर्मी प्रतिनियुक्त है 1. स्वा० उपकेन्द्र, छोटकी खरगडीहा – श्रीमती बेबी कुमारी, ए०एन०एम०; श्रीमती मोहन चौधरी, स्वा० सेवक 2. स्वा० उपकेन्द्र, देवनडीह – श्रीमती पुष्पा कुमारी, ए०एन०एम० स्वास्थ्य उपकेन्द्र, गाण्डेय, अर्जुनबाद एवं बेलाटांड स्वीकृत नहीं है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड– 1 में वर्णित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में संसाधन उपलब्ध कराते हुए खोलने का विचार रखती है तथा खण्ड– 2 और खण्ड– 3 में उल्लेखित स्वास्थ्य उप केन्द्रों को प्रतिदिन खोलने, चालू रखने तथा लोगों की चिकित्सा करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपरोक्त स्वीकृत सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में नियमित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया जा रहा है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०सभा०–07-49/17 412(15) राँची, दिनांक– 14/12/17

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 2680 दिनांक– 05-12-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.17

सरकार के उप सचिव।

Thesari

(142)

श्री केदार हाजरा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–08 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जमुआ प्रखण्ड के ग्राम पंचायत पालमो के ग्राम शिवुडीह में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनकर तैयार है, जबकि चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी का पद सृजित नही किया गया है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। ग्राम शिबुडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सृजन किया गया है। राज्य के सभी नवसृजित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र नवडीहा एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र मिर्जागंज में चिकित्सक का पद सृजित है, लेकिन अभीतक चिकित्सक का पदस्थापन नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमुआ में महिला चिकित्सक पदस्थापित नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार इसपर कार्रवाई करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?	अनुबंध पर चिकित्सकों को नियुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है, चिकित्सकों का पदस्थापन कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0स0–03–34/2017 1294 (3) राँची, दिनांक 14.12.17

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2671/वि0स0 दिनांक 04.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

143

झारखण्ड सरकार,
गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

श्री रबीन्द्रनाथ महतो, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दि0 15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग–01 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न		उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा मुख्यालय से नाला विधान सभा क्षेत्र के बंगाल बोर्डर तक कि दूरी लगभग 80–90 कि. मी. है और कही आग लग जाती है तो मुख्यालय से दमकल वाहन पहुँचने में घंटों लग जाते है और तब–तक सब जलकर राख हो जाता है;		आंशिक रूप से स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि बिते एक सप्ताह पूर्व मड़ालो ग्राम के एक दो मंजिला भवन में शॉट सर्किट की घटना से आग लगी थी वहीं फतेहपुर में भी 19 अक्टुबर को आग लगी थी, जबतक दमकल वाहन आग बुझाने पहुँचती, तबतक सब जलकर राख हो चुका था;		आंशिक रूप से स्वीकारात्मक अग्निकाण्ड की सूचना प्राप्त होने पर यथासंभव अग्निशमन दस्ता घटनास्थल पर पहुँचने का प्रयास करती है, किन्तु रास्ता खराब रहने के कारण एवं दूरी के अनुसार फायर इंजिन को घटनास्थल पर पहुँचने में समय लगता है। अग्निशामालय जामताड़ा से प्राप्त अग्नि प्रतिवेदन के अनुसार नाला प्रखण्ड में वर्ष 2016 में कुल –05 एवं 2017 में कुल –04 अग्निकांड हुए है। इन अग्निकांडों में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना प्राप्त नही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार नाला विधान सभा क्षेत्र के नाला मुख्यालय में एक अग्निशामक वाहन सह–कार चालक की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?		विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण में राज्य के सभी अनुमण्डल में अग्निशामालय खोलने के बाद द्वितीय चरण में प्रखण्ड स्तर पर अग्निशामालय खोलने की कार्रवाई की जायेगी। अनुमण्डल स्तर पर अग्निशामालय खोलने की कार्रवाई की जा रही है।

ज्ञापांक–05/वि0स0–08/07/2017–7184 /राँची, दिनांक 13/12/2017 ई0.

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञापांक– 2676 दिनांक 04.12.2017 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(149)

दिनांक–15.12.2017 को श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–का0–04

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के पेटरवार प्रखण्ड का दस पंचायत यथा, 1. चान्दों, 2. खेतको 3. मायापुर 4. चांपी 5. अंगवाली उत्तरी 6. अंगवाली दक्षिणी 7. पिछरी उत्तरी 8. पिछरी दक्षिणी 9. चलकरी उत्तरी एवं 10. चलकरी दक्षिणी को मिला कर चान्दो में प्रखण्ड निर्माण की माँग को लेकर वर्षों से उस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग एवं विभिन्न राजनीतिक दल के नेतागण आंदोलनरत है।	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि चांदो अलग प्रखण्ड का दर्जा मिलने से प्रशासनिक काम–काज में सरलता, उक्त पंचायत के लोगों को बहुत दूर पेटरवार आने–जाने से आवश्यक समय एवं आर्थिक परेशानी से निजात मिलेगी,	सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों को मिलाकर चांदो में नया सृजन निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों।	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक–1390 दिनांक–12.12.2016 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रस्तावित चांदो प्रखण्ड में पंचायतों की संख्या–10 तथा जनसंख्या–58216 है। सरकार के संकल्प सं0–5495 दि0–16.10.2015 में निहित प्रखण्ड सृजन के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करता है। अतएव चांदो प्रखण्ड सृजन की अर्हता नहीं रखता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक– 4–वि0स0–39/2017/ग्रा0वि0 6210 राँची, दिनांक– 14.12.17

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–2067 दिनांक–19.07.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4–वि0स0–39/2017/ग्रा0वि0 6210 राँची, दिनांक– 14.12.17

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

14/12/17

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4–वि0स0–39/2017/ग्रा0वि0 6210 राँची, दिनांक– 14.12.17

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ।

14/12/17

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4–वि0स0–39/2017/ग्रा0वि0 6210 राँची, दिनांक– 14.12.17

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–12034 (अनु0) दिनांक–08.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

14/12/17

सरकार के अवर सचिव।

(145)

श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिले के सीनी में निवास करने वाले 54 परिवारों के मकानों को रेलवे द्वारा तोड़ दिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सीनी रेलवे स्टेशन के आस–पास रेलवे के जमीन को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि इन परिवारों को जमीन खाली करने हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया गया और ठिठुरती ठंड में घर से बेघर कर दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन परिवारों के तत्काल पुनर्वास का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अतिक्रमण करने वाले परिवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा पूर्व में ही दिनांक–22.11.2017 तक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किये जाने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद दिनांक–25.11.2017 को रेलवे की जमीन अतिक्रमित कर किये गये अवैध निर्माण को लोगो द्वारा स्वेच्छा से बिना किसी बल प्रयोग के हटाया गया है। सम्प्रति सरकार के समक्ष ऐसे पुनर्वास संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09/वि०स०(10)–06/2017 7183/ राँची, दिनांक–13/12/17 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2776, दिनांक–07.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री दशरथ गागराई, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 19 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिले के आमदा में 500 बेड का अस्पताल निर्माण कार्य बार–बार Time extension देने के बावजूद पूर्ण नहीं हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को पूर्ण करने में विभागीय पदाधिकारी व संवेदक लापरवाही बरत रहे है ;	अस्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संबंधित पदाधिकारी एवं संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन योजना विभागीय पत्रांक 262(5)ब दि0 18.03.11 द्वारा कुल 1 अरब 53 करोड़ 96 लाख 14 हजार रुपए की लागत पर स्वीकृत की गई है । उक्त योजना न्यूनतम निविदाकार एन0बी0सी0सी0 (भारत सरकार का उपक्रम) को मुख्य अभियन्ता, तत्कालीन अभियन्त्रण कोषांग के पत्रांक– 501 दि0 10.12.11 द्वारा आवंटित किया गया । तत्पश्चात मुख्य अभियन्ता, तत्कालीन अभियन्त्रण कोषांग के पत्रांक– 224 दि0 21.03.12 द्वारा संवेदक को Work Order दिया गया । उक्त प्रस्तावित योजना हेतु टुंगरीनुमा भूमि उपलब्ध कराया गया । जिसके समतलीकरण हेतु कुल 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति से दि0 26.10.13 को स्वीकृति प्राप्त की गई । इस योजना को पूर्ण करने की तिथि 26.02.14 थी । परन्तु प्रस्तावित कार्य स्थल Hilly Terrain होने के कारण overburdened hard soil हटाने में अतिरिक्त समय लगा । इसके साथ ही M/S Arch-En-design द्वारा अनुमोदित नक्शा दि0 25.09.13 को उपलब्ध कराया गया । ऐसी स्थिति में स्वरुप में परिवर्तन होने के कारण कार्य को पूर्ण कराने में विलम्ब हुआ है । उक्त विलम्ब के कारण विभागीय ज्ञापांक 368(6) दि0

		30.03.16 द्वारा दि0 31.12.17 तक समय विस्तार की स्वीकृति दी गई है । विभागीय अभियन्त्रण कोषांग को दि0 01.04.16 के प्रभाव से भवन निर्माण विभाग में समाहित होने तथा झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम के गठन के पश्चात् अभिलेखों के हस्तानान्तरण से भी विलम्ब हुआ है। उक्त कार्य दिसम्बर 2018 में पूर्ण होने की संभावना है ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 85/17– 1752 स्वा0, राँची, दिनांक: 14.12.17

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2773/वि0स0, दिनांक– 07.12.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

उप सचिव ।

(147)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –रा०–05, प्रश्नोत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	क्र० सं०	उत्तर
	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स०वि०स०		श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, पिपरा एवं हरिहरगंज अंचल में खतियान ऑनलाईन किया गया है।		उत्तर स्वीकारात्मक। पलामू जिला के अंचल– हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, पिपरा एवं हरिहरगंज में हाल सर्वे अंतिम रूप से प्रकाशित खतियानों को डिजिटाईजेशन के उपरांत ऑनलाईन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि ऑनलाईन खतियान त्रुटिपूर्ण होने के कारण यहाँ भूमि विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं।		उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। अंचल– हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, पिपरा एवं हरिहरगंज के खतियान के अंतिम प्रकाशन के उपरांत छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा– 87 के अंतर्गत बंदोबस्त न्यायालय में कुल 24,529 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वादों में पारित आदेश के आलोक में खतियान में अपेक्षित संशोधन करने के उपरांत ऑनलाईन खतियान विवाद रहित हो जायेगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार त्रुटिपूर्ण ऑनलाईन खतियान सुधारने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?		उपरोक्त प्राप्त आवेदन के निस्तारण के उपरांत ऑनलाईन खतियान को त्रुटि रहित कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01/निदे०अभि०, वि०स० (तारा०)–44/2017 745/नि०रा०, राँची, दिनांक–12-12-17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–2699/वि०स०, दिनांक–05.12.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रति (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(148)

श्रीमती गीता कोड़ा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स 17 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभुम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर विधान–सभा क्षेत्राधीन संचालित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कहीं आधारभूत संरचनाओं की कमी तो कहीं संसाधनों की भारी अनुपलब्धता है ;		अस्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित आधारभूत संरचनाओं तथा संसाधनों की कमी के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित है ;		अस्वीकारात्मक । वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के माध्यम से उक्त विधान सभा क्षेत्र के लोगो को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुरूप झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों में अस्पताल भवन निर्माण की स्वीकृति सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड – 1 में वर्णित विधान–सभा क्षेत्र में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारभूत संरचना दुरूस्त करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हॉ,तो कब तक, नही तो क्यो ?		जगन्नाथपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ाजामदा (नोवामंडी) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगन्नाथपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहरपुर/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोवामुण्डी, जैतगढ़, जरायकेला एवं जगन्नाथपुर, बड़ाजामदा एवं मनोहरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 55 (पचपन) स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के द्वारा उक्त क्षेत्र के लोगो को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/प्री0वि0स0 (ता0)– 83/17– 1740 स्वा0, राँची, दिनांक: 12.12.17

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2702/वि0स0, दिनांक– 05.12.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/17

सरकार के उप सचिव ।

(149)

दिनांक–15.12.2017 को श्री फूलचन्द मण्डल, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–का0–02

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड में कुल 39 पंचायत है।	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि गोविन्दुर का विखंडन कर दो छोटा प्रखण्ड का निर्माण होने से क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी;	स्वीकारात्मक
2. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोविन्दपुर प्रखण्ड के पंचायत को दो भागों में विभक्त कर नया प्रखण्ड पण्डुकी का सृजन करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक– 4540 दिनांक– 13.12.2017 से प्राप्त प्रतिवदेनानुसार प्रश्नाधीन पण्डुकी प्रखण्ड के सृजन का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग के माध्यम से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने उपरांत विभागीय संकल्प सं0– 5495 दिनांक– 16.10.2015 में निहित मापदण्ड एवं प्रक्रिया के अनुरूप अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–38/2017/ग्रा0वि0 6212 राँची, दिनांक– 14.12.17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–2697 दिनांक–05.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–38/2017/ग्रा0वि0 6212 राँची, दिनांक– 14.12.17

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

14/12/17

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–38/2017/ग्रा0वि0 6212 राँची, दिनांक– 14.12.17

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ।

14/12/17

सरकार के अवर सचिव।

(150)

श्रीमती जोबा मांझी, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्रनि–04 का उत्तर सामग्री –

1	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती जोबा मांझी माननीय सदस्य विधानसभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि नोडल पदाधिकारी –सह– जिला नियोजन पदाधिकारी, प0 सिंहभूम द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए विद्युत एवं फिटर व्यवसायों हेतु तांतनगर, टोन्टो, हाटगम्हरिया, मंझारी, नोवामुण्डी, कुमारडुगी, मझगाँव, गोयलकेरा, सोनुवा, आनंदपुर, गुदरी एवं बंदगाँव प्रखण्डों में नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन ही नहीं है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि नामांकन लेने वाले छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष का है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
4	क्या यह बात सही है कि दिनांक–18.11.2017 तक प्रशिक्षण प्रवेश हेतु कितने आवेदन किन–किन प्रखण्डों से प्राप्त है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुदेशकों उक्त प्रखण्डों में नामांकित छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रारंभ करने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के 13 जिलों के 105 अनाच्छादित प्रखण्डों में संविदा पर अनुदेशकों की नियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए जाने के फलस्वरूप मामला विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश के आलोक में अनुदेशकों की नियुक्ति उक्त सभी संस्थानों में कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जायेगा।

13.12.17

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0 (वि0स0)–34/2017 – 1539 राँची दिनांक 13.12.17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को इनके पत्र सं0– 2802 दिनांक 08.12.17 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.12.17

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 03 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है साहेबगंज में "चिकित्सा महाविद्यालय" स्थापित नहीं होने के कारण साहेबगंज, पाकुड़ तथा गोड्डा जिला के छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाईयाँ होती है, जिस कारण वह चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति हेतु अन्य राज्यों को पलायन हेतु मजबूर है ;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत तीन चिकित्सा महाविद्यालय एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर/पाटलिपुत्रा चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद एवं राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची संचालित है जिसके माध्यम से राज्य के छात्र–छात्राओं को मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
2. क्या यह बात सही है साहेबगंज जिला के उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत प्रखण्डस्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र का अपना भवन स्थापित नहीं रहने तथा प्रखण्ड कार्यालय के छोटे भवन में स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय व्यवस्था संचालित रहने के कारण स्थानीय आमजन को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उधवा प्रखण्ड के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–1 (एक) एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र– 9 (नौ) संचालित है जिसके माध्यम से स्थानीय आमजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित जिला में "चिकित्सा महाविद्यालय" स्थापित करने खण्ड (2) में वर्णित प्रखण्डस्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	वस्तु स्थिति यह है कि संथाल परगना प्रमण्डल के दुमका जिला में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई है। इससे संबंधित भवन का निर्माण प्रगति पर है। साथ ही देवघर जिला के देवीपुर प्रखण्ड में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत एम्स की स्थापना के सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है। उधवा प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2007–08 में की गई थी। उक्त कार्य MoU के आधार पर हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कन्सट्रक्शन लि0. (भारत सरकार का उपक्रम) को कार्य आवंटित था। परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य एजेन्सी द्वारा योजना प्रत्यर्पित कर दिया गया। उक्त योजना के स्वीकृति के निमित्त उपायुक्त, साहेबगंज से भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (अतारा0)– 78/17– 1757 स्वा0, राँची, दिनांक: 14.12.17

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2667/वि0स0, दिनांक– 04.12.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

सरकार के उप सचिव ।

श्री चम्पाई सोरेन, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– सा0 21 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के राजनगर प्रखण्ड अन्तर्गत जोनबनी पंचायत के श्यामसुन्दरपुर, कटंगा पंचायत के ग्राम धोलाडीह, फुहा तथा बिजाडीह पंचायत के ग्राम–कुमडीह में वर्ष 2015–16 में उप स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित उप स्वास्थ्य केन्द्र अब तक सम्पूर्ण संचालित नहीं है, जिसके कारण चिकित्सा उपचार कराने के लिए सरायकेला, टाटानगर, हाता जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीण जनता को बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड – 1 में वर्णित उप स्वास्थ्य केन्द्र का संचालित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	प्रश्नाधीन योजना राजनगर प्रखण्ड अन्तर्गत जोनबनी पंचायत के श्यामसुन्दरपुर, ग्राम में मेसो परियोजना के अन्तर्गत योजना की स्वीकृति दी गई है जिसका निर्माण ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सरायकेला द्वारा कराया गया है, जो अधूरा रहने के कारण हस्तगत नहीं है। कटंगा पंचायत के ग्राम–धोलाडीह स्वास्थ्य उपकेन्द्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजनगर द्वारा दिनांक 20.10.15 तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र, फुहा को 04.12.17 को हस्तगत कर ली गई है। बिजाडीह पंचायत के कुमडीह ग्राम में कोई स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं है। उसी ग्राम के समीप

	मुरसा में बी0आर0जी0एफ0 योजना के तहत वर्ष 30.03.10 को स्वीकृत की गई है। जिसकी लागत राशि 1853000/– उक्त योजना एन0आर0ई0पी0, सरायकेला खरसावाँ द्वारा निर्मित है, जो संचालित है। जिसमें श्रीमति सुशान्ति गुड़ीया पदस्थापित है। कटंगा पंचायत के धोलाडीह स्वास्थ्य उपकेन्द्र में प्यारी जारीका प्रतिनियुक्त है, उनके द्वारा सप्ताह में प्रत्येक शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जाती है। प्रश्नाधीन निर्मित स्वास्थ्य उपकेन्द्र, कुमडीह के निर्माण के संबंध में विभागीय पत्रांक 1750 दिनांक 13.12.2017 द्वारा उपायुक्त, सरायकेला खरसावाँ को एक सप्ताह के अन्दर हस्तगत कराने के बिन्दु पर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 88/17– 1758 स्वा0, राँची, दिनांक: 14.12.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2799/वि0स0, दिनांक– 08.12.2017 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

सरकार के उप सचिव ।

(153)

श्री रामकुमार पाहन, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–02 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला अंतर्गत औरमांझी प्रखण्ड स्थित स्वास्थ्य केन्द्र, पांचा का नया भवन कई वर्षों से बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू नहीं की गयी है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। प्रतिनियुक्त चिकित्सक एवं कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार उक्त क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन में स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक 1278(3) दिनांक 12.12.17 द्वारा सिविल सर्जन, रांची को नए भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 6/पी0वि0स0(ता0) 77/17 1287(3) राँची, दिनांक: 13/12/17

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2666/वि0स0 दिनांक 04.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(154)

माननीय स०वि०स०, श्री अमित कुमार मंडल द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0–2361, दिनांक–12.03.2015 में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 2001 के अनुसूचि–1 तथा अनुसूची–2 के क्रमांक–20 में विहायुत कलवार जाति का नाम दर्ज है;	अस्वीकारात्मक। संकल्प सं0–2361, दिनांक–12.03.2015 के द्वारा झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची के क्रमांक 20 पर पूर्व में दर्ज जातियों के बाद "बनिया (बनवार)" सूचीबद्ध किया गया है। इससे पूर्व क्रमांक 20 पर सूचीबद्ध जातियों में "वियाहुत कलवार" का नाम सम्मिलित था।
02.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं0–07/जाति निर्धारण 19.02.2003 झारखण्ड सरकार ने केन्द्र सरकार को यह अनुशंसा भेजा है कि घटयार शब्द के स्थान पर घटवार/घटवाल पढ़ा जाय;	स्वीकारात्मक।
03.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत पथरगामा अंचल के श्री सियाराम भगत, अमरनाथ भगत वगैरह ग्राम पथरगामा के वियाहुत कलवार पिछड़ा वर्ग ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण–पत्र यह कहकर नहीं बनाया जा रहा है कि विहायुत कलवार जाति का नाम भारत सरकार के कार्मिक विभाग की सूची में सम्मिलित नहीं है;	स्वीकारात्मक। "वियाहुत कलवार" जाति का नाम झारखण्ड राज्य के लिए ओ0बी0सी0 की केन्द्रीय सूची में दर्ज नहीं है। सम्प्रति वियाहुत कलवार समुदाय के लोगों को केन्द्रीय सेवाओं के लिए ओ0बी0सी0 का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता है।
04.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित घटवाल जाति का ओ0बी0सी जाति प्रमाण–पत्र नहीं बनाया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। 'घटवार' जाति का नाम झारखण्ड राज्य के लिए ओ0बी0सी0 की केन्द्रीय सूची में क्रमांक 38 पर दर्ज है। किन्तु "घटवाल" जाति का नाम सूचीबद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में घटवार जाति को घटवाल जाति के नाम से ओ0बी0सी0 का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता है।
05.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित जाति के खतियानी युवा शिक्षित बेरोजगारों का जाति प्रमाण–पत्र नहीं बनने के कारण जीवन अंधकारमय बना हुआ है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय पत्र सं0–1853, दिनांक–28.02.2015 के आलोक में यदि किसी व्यक्ति द्वारा जाति के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सके, तो स्थानीय जाँच के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है।
06.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित जाति समुदाय के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अनुरूप जाति–प्रमाण–पत्र निर्गत करने का आदेश देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो, क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 5 में स्थिति स्वतः स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–38/2017 का0–12168/रांची, दिनांक 13.12.17

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–2698/वि0स0, दिनांक–05.12.2017 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।